



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल / REGIONAL OFFICE, BHOPAL



Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,
BHOPAL - 462016 (M.P.)

TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in

क्रमांक: 6-एमपीआर 027/2023-बीएचओ/

दिनांक : 09/02/2024

प्रति,

प्रधान सचिव (वन)

मध्यप्रदेश शासन,

वल्लभ भवन, भोपाल (मध्यप्रदेश) ।

विषय: बैतूल एवं होशंगाबाद(नर्मदापुरम) जिले में जुझारपुर से ढोढरामोहार के मध्य तीसरी रेलवे लाइन के निर्माण हेतु 8.0357 हेक् टयर आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि (1.2496 हे. उत्तर बैतूल एवं 6.7861 हे. होशंगाबाद वनमण्डल) उप मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्यप रेलवे नागपुर डिवीजन को उपयोग पर देने बाबत (FP/MP/RAIL/150074/2021)

संदर्भ: 1. नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश का पत्रांक एफ-5/1211/2022/10-11/405 दिनांक 18/01/2024.

2. आर.ई.सी. कार्यवृत्त क्र. 6-REC10/2014-BHO/Part-III/289 दिनांक 06/02/2024 & FRCM Meeting dated 06/02/24.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव से संबंधित आर.ई.सी. बैठक दिनांक 29/01/2024 को आयोजित की गयी । बैठक में लिये गये निर्णय एवं कार्यवृत्त दिनांक 06/02/2024 (संदर्भित पत्र-2) एवं एफ.आर.सी.एम. बैठक दिनांक 06/02/2024 अनुसार अन्य वांछित जानकारी/स्पष्ट टीकरण की आवश्यकता है जो कि निम्नलिखित है:-

1. The State Govt. stated that the land occupied with existing line is in possession of Railways but no documentary evidence or certificate issued by the competent authority has been furnished showing the existing line constructed (in 1919 and 1986) on Railway owned land within Railway's right of way under Section 11 of Railways Act, 1989.
2. The area which is under re-diversion for use of NHAI and Railway is also requiring to be mentioned.
3. With reference to this office EDS point 7 the comment of CWLW has been provided and was informed that provisions made in the document of WII regarding infrastructural Projects to mitigate measures for wildlife protection shall be taken under consideration during the work. Therefore, site specific activity/structure required and detail of fund provision for the same shall be provided to the REC.
4. This was informed by the concerned DFO that the area of the project falls in the Satpura-Melaghat Tiger Corridor. As per prescribed guideline of FCA the proposal will require clearance from the NBWL in this case.

उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने के पश्चात ही प्रस्ताव में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

(डॉ. योगेश गैरोला)

तकनीकी अधिकारी (यानिकी)

प्रतिलिपि:

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, वन भवन, तुलसीनगर, भोपाल ।